लघु उद्योग

Dr. Nishi Shukla

Assistant Professor

Department of Economics

Pt. D.D.U. Govt. Girls P.G. College Rajajipuram, Lucknow

लघु उद्योग

- लघु उद्योग परिभाषा एवं वर्गीकरण
- भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की भूमिका व निष्पादन
- लघु उद्योग का विस्तार व उत्पादन की भागीदारी
- रोजगार अवसरों का सृजन
- निर्यात में योगदान
- लघु उद्योगों का अन्तर्राज्यीय वितरण
- लघु उद्योगों के लिए सरकारी नीति
- 1991 से पहले की नीति
- नयी लघु औद्योगिक नीति 1991
- व्यापक नीति पैकेज 2000
- सूक्ष्म लघु एवं मध्ययम उद्योग विकास अधिनियम 2006
- लघु उद्योग की समस्यायें

लघु उद्योग परिभाषा एवं वर्गीकरण

- औद्योगिक ढाँचे को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है -
  - बड़े उद्योग।
  - मध्यम उद्योग।
  - लघु उद्योग।
- 1975 से पहले वे सारी औद्योगिक इकाइयाँ जिनमें प्लांट व मशीनरी में निवेश 7.5 लाख रू. से कम हो लधु क्षेत्र में शामिल की जाती थी। सहायक औद्योगिक इकाईयों के लिए उच्चतम सीमा 10 लाख रूपये थी। 1975 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परिभाषा के अनुसार 10 लाख रू. तथा 15 लाख रू. तक कर दिया गया। 23 जुलाई 1980 के औद्योगिक नीति में तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ाने की दृष्टि से लघु उद्योगों की परिभाषा में सुधार किया गया और इन्हें 20 लाख तथा सहायक औद्योगिक इकाईयों के लिए 25 लाख रू. कर दिया गया।
- अप्रैल 1991 की औद्योगिक नीति में लघु क्षेत्र की इकाई के लिए निवेश सीमा 60 लाख रू. तथा सहायक औद्योगिक इकाईयों के लिए 75 लाख रू. कर दी गई तथा एक अति लघु क्षेत्र भी परिभाषित किया गया जिसमें निवेश सीमा 5 लाख रू. थी।
- आबिद हुसैन समिति की सिफारिश पर फरवरी 1997 में लघु उद्योगों के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 3 करोड़ रू. कर दिया गया। निवेश सीमाओं में यह वृद्धि मुद्रास्फीति और अवमूल्यन के कारण रूपये की कीमत में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए की गयी। वर्तमान समय में भारत सरकार का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एम.एस.एम.ई.) 2006 लघु उद्योगों को इस प्रकार परिभाषित करता है -
- क. विनिर्माण क्षेत्र के लिए लघु उद्योगों निवेश सीमा 25 लाख रू. से 5 करोड़ रू. है।
- ख. सेवा क्षेत्र में उपकरणों में निवश सीमा 10 लाख से 2 करोड़ रू. है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की भूमिका व निष्पादन

वर्ष	इकाईयों की संख्या		कुल	उत्पादन (करोड़ रू में 2001-02 के मूल्यों पर)	रोजगार (लाख रू में)	निर्यात (करोड़ टन में)
	पंजीकृत	अपंजीकृत				
2002-03	16.03	93.46	109.49 (4.1)	3,06,771 (8.7)	263.68 (4.5)	86013(20.7)
2003-04	17.12	96.83	113.95 (4.1)	336344 (9.6)	275.30 (4.4)	97644 (13.5)
2004-05	18.24	100.35	118.59 (4.1)	372938 (10.9)	287.55 (4.5)	124417 (27.4)
2005-06	19.32	104.12	123.42 (4.1)	418884 (12.3)	299.85 (4.3)	150242 (20.8)

1991 से पहले की नीति

- 1947 में भारत सरकार ने कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना की। पहली पंचवर्षीय योजना में इसे तीन अलग अलग बोर्डो में विभाजित कर दिया गया ।पहली योजना की समाप्ति पर देश में छः बोर्ड काम कर रहे थे और उनके दायरे में सभी लघु और कुटीर उद्योग आते थे।
- 1954 में लघु उद्योग विकास निगम स्थापित किया गया।
- 1955 में औद्योगिक बस्तियों का कार्यक्रम शुरू किया गया। इन बस्तियों में कारखानों की स्थापना के लिए बिजली, पानी, यातायात इत्यादि की सुविधायें प्रदान की गई ।
- मई 1979 में जिला उद्योग केन्द्र का कार्यक्रम शुरू किया गया ।
- **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड -**1955 में अपने अस्तित्व में आने से लेकर अब तक यह सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए प्रोत्साहन सहायता एवं पोषण के अपने मिशन के लिए कार्य कर रहा है ।

नयी लघु औद्योगिक नीति 1991

- अति लघु क्षेत्र में निवेश सीमा को 2 लाख रूपये से बढाकर 5 लाख रूपये कर दिया गया। इसके अतिरिक्त स्थानिक प्रतिबंधों को हटा लिया गया। (पहले यह प्रतिबंध था कि इस प्रकार की इकाइयां 50000 से कम जनसंख्या वाले स्थानों पर ही स्थापित की जा सकती हैं) जहाँ पहले उद्योग का अर्थ मुख्यतया विनिर्माण क्षेत्र माना जाता था वहाँ नई नीति में इसके अंतर्गत उद्योग से जुड़े सेवा व व्यावसायिक उद्योगों को भी शामिल कर लिया गया।
- 1991 की नीति में अति लघु क्षेत्र की इकाइयों के विकास के लिए एक अलग पैकेज की घोशणा की गई। जहाँ अन्य लघु इकाइयों के लिए केवल एक बार प्राथमिकता के आधार पर सहायता देने की बात की गई (जैसे भूमि प्राप्ति के लिए,बिजली के लिए तथा तकनीकी रूप से आधुनिकीकरण के लिए) वहाँ अति लघु इकाइयों को लगातार इस प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया गया।
- तीसरा मुख्य परिवर्तन इक्विटी में हिस्सेदारी से संबंधित था। नई नीति में यह व्यवस्था की गई कि अन्य औद्योगिक इकाइयां लघु इकाइयों में 24 प्रतिशत तक की इक्विटी का निवेश कर सकती हैं।
- चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1991 की नीति ने व्यवसाय-संगठन का नया कानूनी दौर प्रारम्भ किया जिसे सीमित साझेदारी की संज्ञा दी गई है। इस व्यवस्था में कम से कम एक साझेदार का दायित्व असीमित है जबकि अन्य साझेदारों का दायित्व उनके द्वारा निवेशित पूंजी तक ही सीमित है। यह परिवर्तन बहुत उपयोगी है। इसके परिणामस्वरूप लघु उद्योगपतियों के रिश्तेदार व मित्र पूंजी देने में हिचकिचाएंगे नहीं क्योंकि उनका अपना दायित्व उनके द्वारा निवेशित पूंजी तक की सीमित रहेगा।
- नीति में लघु तथा अति लघु इकाइयों की संपूर्ण साख मांग को पूरा करने की कटिबद्धता व्यक्त की गई। अर्थात् 'सस्ती साख ' की अपेक्षा जोर 'साख पर्याप्त ' पर दिया गया।
- **राष्ट्रीय इक्विटी फंड** तथा 'एक संस्था से ऋण लेने की योजना ' के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया।
- सरकारी खरीद कार्यक्रमों में अति लघु क्षेत्र को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई।
- घरेलू कच्चे माल के आवंटन में लघु तथा अति लघु क्षेत्र को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई।
- लघु व अति लघु क्षेत्र के उत्पादों के लिए बाजार तलाशने में सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं तथा अन्य व्यवसायिक संगठनों की भूमिका पर जोर दिया गया।

व्यापक नीति पैकेज 2000

- 30 अगस्त 2000 को प्रधानमंत्री ने लघु उद्योग क्षेत्र तथा अति लघु क्षेत्र के लिए व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की जिसके मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं-
- क. लघु उद्योग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के लिए उत्पादन शुल्क की 50 लाख रूपये की छूट सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रूपये करना।
- ख. लघु उद्योगों की तीसरी गणना कराना जिसमें रूग्णता और उसके कारणों को भी षामिल किया जायेगा।
- ग. उद्योग से संबंधित सेवा तथा व्यवसाय उद्यम में निवेश की मौजूदा 5 लाख रूपये की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रूपये करना।
- घ. प्रत्येक लघु उद्योग के उद्यमों के संबंध में दसवीं योजना के अन्त तक आईएसओ 9000 प्रमापन प्राप्त करने के लिए 75000 रूपये प्रदान करने की चालू योजना को जारी रखना।
- ड. मंत्रीमण्डल के सचिव की अध्यक्षता में एक ग्रुप का गठन करना जो इस क्षेत्र में लागू कानूनों व नियमों की गहराई से जांच करे तथा जिन कानूनों व नियमों की अब सार्थकता नहीं रह गई है, उन्हें समाप्त करने के लिए आवश्यक सुझाव दे, चालू समेकित आधारभूत किवास योजना को और क्षेत्रों में लागू करना तथा सारे देश में इसका विस्तार इस प्रकार करना कि 50 प्रतिशत आरक्षण ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हो तथा 50 प्रतिशत भूखण्ड अति लघु क्षेत्र को उपलब्ध हों तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना (जो माइक्रो उद्यमों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देती है तथ प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार अवसर पैदा करती है) के अधीन परिवार की आय पात्रता सीमा को 24000 रूपये प्रति वर्ष करना।

निवेश सीमा में वृद्धि-उच्चतम निवेश सीमा 1.5 करोड़ रूपये है को बढ़ाकर 5 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

उत्पादन शुल्क से छूट की सीमा में वृद्धि -2005-06 के बजट में 20 सितम्बर 2000 से लघु क्षेत्र के लिए उत्पादन शुल्क से छूट की सीमा को 3 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 4 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

ऋणाधार (या जमानत) संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु योजना-एक साख गारंटी फंट (स्कीम) की शुरूआत की गई है जो इन उद्योगों को वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा 25 लाख रूपये तक दिये गये ऋण की गारंटी देगा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक साख गारंटी ट्रस्ट फण्ड की स्थापना की गई।

प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए योजना-सरकार ने प्रौद्योगिकी सुधार के लिए साख संबद्ध पूंजी सहायता योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत, वाणिज्यिक बैंको, राज्य वित्त निगमों, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा लघु उद्योगों को प्रौद्योगिकी सुधार के लिए एक करोड़ रूपये तक दी जाने वाली ऋण राशि पर 15 प्रतिषत पूंजी सहायता की अनुमति दी गई।

समेकित आधारभूत विकास योजना का विस्तार - समेकित आधारभूत विकास योजना का विस्तार करके इसे पूरे देश में लागू किया गया है।

बाजार विकास सहायता - लघु व कुटीर उद्योग के लिए एक बाजार विकास सहायता योजना आरम्भ की गई।

पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने लघु क्षेत्र के लिए आरक्षण हटाने की नीति को अपनाया है। आरक्षित मदों की संख्या जो जुलाई 1989 में 836 थी वह मार्च 2007 में 114 तथा अक्टूबर 2008 में 21 तथा वर्तमान में 14 रह गई है। लघु उद्योगों के लिए आरक्षित 14 उत्पादों में ब्रेड, अचार, लकड़ी के फर्नीचर, मोमबत्तियाँ, अगरबत्ती, पटाखे, स्टेनलैस स्टील व एलम्यूनियम के बर्तन तथा अभ्यास पुस्तक-पुस्तिका आदि शमिल हैं।

लघु उद्योग की समस्यायें

- **वित्त तथा साख** -पूंजी तथा साख का अभाव लघु उद्योगों की प्रधान समस्या है।
- **कच्चे माल की उपलब्धि** –अधिकांश कुटीर उद्योग कच्चे माल के लिए स्थानीय स्रोतों पर निर्भर हैं।
- **अस्वस्थता की समस्या** -अस्वस्थ लघु इकाइयों के संदर्भ में दो मुख्य मुद्दे हैं - क. बहुत सी अस्वस्थ इकाइयां ऐसी हैं जिन्हें चला पाना व्यवहार्य नहीं रह गया है। ख. ऐसी अस्वस्थ लघु इकाइयों का पुनर्वास जिन्हें दोबारा चला सकने की संभावना है जहां तक पहले मुद्दे का सवाल है देश में 31 मार्च 2003 तक 1,67,980 अस्वस्थ लघु इकाइंया थी। इनमें बैंकों का 5,706 करोड़ रूपये फंसा हुआ है। इनमें से 1,62,791 लघु इकाइयां ऐसी हैं जिनके बारे में अनुमान है कि उन्हें पुनर्जीवित कर पाना संभव नहीं है। इनमें बैंकों का 4,869 करोड़ रूपया फंसा हुआ है।
- **आर्थिक सुधारों तथा वैश्वीकरण के बुरे प्रभाव** -1990 के दशक में औद्योगिक अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में कई प्रयास किए गए जैसे औद्योगिक लाईसेसिंग की समाप्ति, आरक्षण में कमी, देशीय व विदेशी उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन, प्रशुल्कों में कमी, मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना, इत्यादि। इन सुधारों का लघु उद्योग क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।वस्तुतः भारतीय खिलौना उद्योग में चीनी उत्पादकों का हिस्सा 3500 करोड़ रूपये तक पहुंच गया है। सीरेमिक टाइल्स उद्योग में चीन से आयातों का हिस्सा 2003-04 में 39 प्रतिषत तक पहुंच चुका था जो 2004-05 में और बढ़कर 81 प्रतिशत हो गया। जहाँ तक सीरेमिक उद्योग में 'उपहार खण्ड' का प्रश्न है चीनी आयातों ने भारतीय घरेलू उपहार सीरेमिक उद्योग के लगभग 80 प्रतिशत का सफाया कर दिया है।

उदारीकरण के दौर में सार्वजनिक क्षेत्र

- उदारीकरण नीति: एक परिचय
- आर्थिक सुधार या नयी आर्थिक नीति की विशेषता
- सार्वजनिक क्षेत्र: आशय
- सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान और महत्व
- सार्वजनिक क्षेत्र का विकास एवं उपलब्धियाँ

उदारीकरण नीति: एक परिचय

- उदारीकरण की नीति अपनाने से पहलें भारत सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को अपनाया। उत्तराधिकार में प्राप्त अति पिछड़ी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना नितान्त आवश्यक था।
- सार्वजनिक क्षेत्रों पर बहुत भारी मात्रा में व्यय किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) में सार्वजनिक क्षेत्रों पर किया गया कुल व्यय रुपया 81.1 करोड़ था जो बढ़कर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में रुपया 3644718 करोड़ (2006-07 की कीमत पर) हो गया। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास में निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती थी:
  - गरीबी दूर करना
  - आय और धन के वितरण में असमानता को कम करना
  - सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास, संवृद्धि
  - रोजगार का सृजन करना।

आर्थिक सुधार या नयी आर्थिक नीति की विशेषता

- विनियमन एवं नियंत्रण नीति को ढीला करना
- औद्योगिक लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण का उन्मूलन
- औद्योगिक उत्पादन क्षमता सीमा
- छोटे उद्यमों की निवेश सीमा बढ़ा दी गयी-
  - **विनिर्माण उद्योग**: विनिर्माण उद्योग के अन्तर्गत सूक्ष्म उद्योग में निवेश सीमा 25 लाख रुपये तक रखा गया है जबकि लघु उपक्रम में निवेश सीमा रु. 25 लाख से रुपया 5 करोड़ तक तथा मध्यम उपक्रम में निवेश सीमा रु. 5 करोड़ से अधिक एवं रु. 10 करोड़ तक का निवेश सीमा रखा गया है।
  - **सेवा उद्योग**: सेवा उद्योग के अन्तर्गत सूक्ष्म उपक्रम में रुपया 10 लाख तक का निवेश, लघु उपक्रम में निवेश सीमा रुपया 10 लाख से लेकर रुपया 2 करोड़ तक तथा मध्यम उपक्रम में रुपया 2 करोड़ से लेकर रुपया 5 करोड़ तक का निवेश सीमा रखा गया है।
- **उत्पादकों को उत्पादन चयन के सम्बन्ध में छूट**
- पूँजीगत वस्तुओं एवं तकनीक का आयात करने की स्वतंत्रता
- अर्थव्यवस्था को खुला रूप प्रदान किया गया
- निजी क्षेत्र का विस्तार
- अधिक बाजार-अभिमुखीकरण

सार्वजनिक क्षेत्र: आशय

- सार्वजनिक उपक्रम, राजकीय उपक्रम, लोक उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र जैसे शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची शब्दों के रूप में किया जाता है। अतः इन शब्दों को हम एक ही अर्थ में ग्रहण करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का आधारभूत अन्तर यही है कि इनमें से पहले पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है अर्थात इस क्षेत्र के उद्यमों पर सरकार का स्वामित्व होता है जबकि निजी क्षेत्र के उद्यमों पर लोगों का अर्थात व्यक्ति विशेष का निजी स्वामित्व रहता है। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पर सरकार के अंशतः स्वामित्व एवं निजी क्षेत्र के अंशतः स्वामित्व को संयुक्त उद्यम कहते हैं।
- सार्वजनिक उपक्रमों को आप तीन भागों में बाँट सकते हैं-
    - **विभागीय प्रतिष्ठान (Departmental Undertaking)**: विभागीय प्रतिष्ठान के अन्तर्गत डाक और तार, रेलवे, आल इण्डिया रेडियो, दूरदर्शन, युद्ध सामग्री फैक्ट्री आदि शामिल है।
    - **विधि या कानून निगम (Statutory Corporation):** इसके अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम , भारतीय जीवन बीमा , यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, राज्य व्यापार निगम आदि आते हैं।
    - **सरकारी कम्पनी**: सरकारी कम्पनी के अन्तर्गत हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (SAIL), भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. (BHEL) आदि आते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान और महत्व

- आधारिक संरचना की व्यवस्था
- विकासोन्मुखता
- उचित मूल्य
- आर्थिक विकास के लिए संसाधनों की व्यवस्था
- नियमिन तथा नियंत्रण
- रक्षात्मक कार्य
- समाजवादी समाज की स्थापना एवं सामाजिक परिवर्तन-प्रोफेसर पासकाले सारासेनी ने सार्वजनिक क्षेत्र की इस भूमिका का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है- 'हमारा उद्देश्य इस्पात या मोटर कार बनाना नहीं है, हमारा लक्ष्य है इस्पात या कार निर्माण को सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक प्रगति का साधना बनाना है '

सार्वजनिक क्षेत्र का विकास एवं उपलब्धियाँ

(31 मार्च की स्थिति के अनुसार लाख व्यक्ति)						
	1991	1995	2000	2005	2009	2010
सार्वजनिक क्षेत्र	190.58	194.66	193.14	180.07	177.95	178.62
निजी क्षेत्र	76.77	80.59	86.46	84.52	102.91	107.87
लिंग के अनुसार सरकारी क्षेत्र						
पुरूष	167.10	168.66	164.57	150.86	147.04	146.66
महिला	23.47	26.00	28.57	29.21	30.91	31.96
जोड़	190.57	194.66	193.14	180.07	177.95	178.62
निजी क्षेत्र						
पुरूष	62.42	64.31	65.80	63.57	78.88	81.83
महिला	14.34	16.28	20.66	20.95	24.98	26.63
जोड़	76.76	80.59	86.46	84.52	103.77	108.46
सरकारी तथा निजी क्षेत्र						
पुरूष	229.52	232.97	230.37	214.42	225.92	228.49
महिला	37.81	42.28	49.23	50.16	58.80	58.59
कुल	267.38	275.25	279.60	264.58	281.72	287.08

सार्वजनिक क्षेत्र का विकास एवं उपलब्धियाँ

	2008-09	2007-08	पिछले साल में हुए परिवर्तन (प्रतिशत में)
निवेश (दीर्घकालीन+इक्विटी)	528951	455367	16.16
पूँजी (शुद्ध स्थिर पूँजी+कार्यशील पूँजी)	793096	723719	9.62
कुल टर्नओवर	1263405	1094484	15.43
लाभ अर्जित करने वाली सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ	98652	91571	7.73
हानि सहने वाली सार्वजनिक उपक्रमों की हानि	14424	10257	40.63
शुद्ध मूल्य (Net worth)	584072	518530	12.64
घोषित लाभांश (dividend declared)	25493	28081	-9.21
कॉरपोरेट कर	151728	165994	-8.59
ब्याज भुगतान	40338	32200	25.25
केन्द्रीय खजाने में योगदान	151728	165994	-8.59
विदेशी विनिमय अर्जित	74184	67678	9.61
विदेशी विनिमय का वाह्य प्रवाह	428821	368228	16.46

Thanks